



# कबीरधाम पुलिस

आपकी सेवा में सदैव तत्पर

- ❖ vKkr ekckbzy ucj dk mi ; ks dj yMdh dks ijs'kku djus okyk vkjki h fxj¶rkj
- ❖ ifyl dh rRi jr k l s 24 ?k/s ds vñj vkjki h ifyl dh fxj¶r eñ
- ❖ vkjki h iwl eñHkh QtH Økbē ckp dk vf/kdkjh cu fd ; k g\$ vijk/k &&00&&

दिनांक 25/06/19 को प्रार्थिया द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया कि किसी अज्ञात मोबाईल नंबर धारक के द्वारा इसके निजी फोटो में छेड़छाड़ कर एवं शारीरिक संबंध बनाने की मैसेज भेजकर अनावश्यक रूप से परेशान कर रहा है एवं किसी उक्त बात को किसी अन्य व्यक्ति को बताने पर फोटो एवं विडियो को व्हाटसएप्प एवं फेसबुक में अपलोड करने की धमकी दे रहा है। प्रार्थिया की उक्त रिपोर्ट पर थाना पण्डरिया में अपराध क्रमांक 96/19 धारा 354क, 509 ख भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया एवं मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अनुसार अज्ञात मोबाईल धारक व्यक्ति की पतासाजी के लिए थाना पण्डरिया से विशेष टीम गठित कर तकनीकी टीम के सहयोग से अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर 24 घंटे के अंदर पुलिस की तत्परता से अज्ञात मोबाईल धारक की पतासाजी कर मामले का निराकरण किया गया है। आरोपी अंजोरदास सोनवानी के द्वारा पूर्व में भी काईम ब्रांच का अफसर बनकर मोबाईल फोन के माध्यम से पैसों की ठगी करने का अपराध गठित किया गया है। जिस पर थाना पण्डरिया में अपराध क्रमांक 156/17 धारा 385,419,420,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर जेल निरुद्ध किया गया है।

Follow us in : Website-Kabirdhampolice.nic.in,

Facebook Page- [www.facebook.com/KabirdhamPoliceKwd/](http://www.facebook.com/KabirdhamPoliceKwd/)

Youtube- <https://www.youtube.com/channel/UCi01fcbAqA03sHDrOf6wd1Q>

